

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक— सचिका सं०-३०/यो०-स्वीकृति -40/16

प्रेषक,

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
बिहार, पटना।

द्वारा— आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक—

अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित

विषय— भागलपुर में हस्तकरघा एवं रेशम भवन निर्माण एवं अन्य आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल ₹0 9,50,00,000/- (नौ करोड़ पचास लाख) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा उद्योग विभाग, बिहार, पटना के भागलपुर, जीरो माईल स्थित भूखण्ड पर हस्तकरघा एवं रेशम भवन निर्माण एवं अन्य आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल ₹0 9,50,00,000/- (नौ करोड़ पचास लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

2. उपर्युक्त स्वीकृत राशि ₹0 9,50,00,000/- (नौ करोड़ पचास लाख) मात्र में से ₹0 4,16,90,000/- (चार करोड़ सोलह लाख नब्बे हजार) मात्र का व्यय बजट मुख्यशीर्ष-48 51 - ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-107 रेशम उत्पादन उद्योग, उपशीर्ष 01 03-रेशम भवन, विपत्र कोड-P4851001070103 से, ₹0 3,15,00,000/- (तीन करोड़ पन्द्रह लाख) मात्र का व्यय बजट मुख्यशीर्ष-48 51 - ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-103-हथकरघा उद्योग, उपशीर्ष 01 05- हथकरघा उद्योग भवन, विपत्र कोड-P4851001030105 से एवं ₹0 2,18,10,000/- (दो करोड़ अठारह लाख दस हजार) मात्र का व्यय बजट मुख्यशीर्ष-48 51 - ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष 01 01- हस्तकरघा भवन, विपत्र कोड-P4851007890101 के विषय शीर्ष 53 01-मुख्य निर्माण कार्य मद से विकलित होगा।

3. स्वीकृत राशि की निकासी वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार विकास भवन, पटना से BTC-51 प्रपत्र पर बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम की जाएगी, जो उनके विश्वेश्वरैया भवन, बेती रोड, पटना कोषागार में संधारित उनके PL खाता संख्या- PLA238 में जमा किया जाएगा। राशि की निकासी में वित्त विभाग के पत्रांक 8244 दिनांक 02.08.11 एवं 500 दिनांक 18.01.11 में निहित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

4. इस योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना द्वारा कराया जाएगा। कार्यकारी एजेन्सी को निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व इस हेतु नक्शा/डी०पी०आर० तैयार कर सक्षम प्राधिकार का तकनीकी अनुमोदन एवं विभाग की सहमति लेना अनिवार्य होगा।

5. इस योजना के नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना होंगे। आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर/जिला पदाधिकारी, भागलपुर इस योजना का अनुश्रवण करेंगे।
6. प्रस्ताव में विभागीय स्थायी वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त है।
7. प्रस्ताव में माननीय मंत्री, उद्योग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।
8. यह राज्यादेश संचिका संख्या-२०/यो०-स्वीकृति-४०/१६ के पृष्ठ १७/टि. पर दिनांक २१.०३.२०१७ को प्राप्त आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।
9. राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक २५६१ वि (२) दिनांक १७.०४.१९९८ की कंडिका- २ का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
१०. वित्त विभागीय पत्रांक ७३५५/वि०(२) दिनांक ०५.१०.२००७ के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- २०/यो०-स्वीकृति -४०/१६

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- २०/यो०-स्वीकृति -४०/१६

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- २०/यो०-स्वीकृति -४०/१६

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर/जिला पदाधिकारी, भागलपुर/अपर निदेशक (तक०), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त उद्योग निदेशक (तक०), हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, भागलपुर/उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र), भागलपुर/सहायक उद्योग निदेशक (२०), भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- २०/यो०-स्वीकृति -४०/१६

पटना, दिनांक- २१/०३/२०१७

प्रतिलिपि- वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना शाखा, उद्योग विभाग/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना/आय-व्यय पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/बजट पदाधिकारी, प्रशाखा-१(स०), उद्योग विभाग एवं योजना शाखा-१(स०)/आईटी० मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।